संख्या 639 /बजट/ ई–46661 / 2024

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव, वित्त/ निदेशक, बजट,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
सचिवालय प्रशासन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त विभाग (बजट) देहरादून :: दिनांक 11 नवम्बर, 2024

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 निर्माण से पूर्व अनुभाग अधिकारियों का प्रशिक्षण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या I/252493 दिनांक 08 नवम्बर, 2024 में प्रदत्त निर्देश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है। इस हेतु समस्त प्रशासनिक विभागों के बजट कार्य देख रहे अनुभाग अधिकारियों को संलग्न परिशिष्ट–1, संख्या 1600/XXXI(1)/2019–विविध–15/ 2019, दिनांक 28 नवम्बर, 2019 के अनुसार अनुभागवार प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रशिक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि प्रशिक्षण से पूर्व उक्त वित्त अनुभाग के शासनादेश दिनांक 08 नवम्बर, 2024 का गहन अध्ययन कर लें जिससे प्रशिक्षण में सुगमता आ सकेगी। उक्त शासनादेश को https://budget.uk.gov.in/pages/display/104-letter से भी डाउनलोड किया जा सकता है। यह प्रशिक्षण वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार, पंचम तल, विश्वकर्मा भवन में आयोजित होगा। बजट निर्माण से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्न सारणीनुसार प्रस्तावित हैः–

दिनांक	समय	विषय	प्रशिक्षक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
20 /11/2024	10:30 Am to 11:00 Am	संबोधन		सचिव, वित्त द्वारा संबोधन
20 /11/2024	11:00 Am to 11:15 Am	ई–ऑफिस पर शासनादेश अपलोड करना	सचिवालय प्रशासन विभाग के अधिकारी व ई–ऑफिस के अधिकारी	उक्त परिशिष्ट संख्या–1, संख्या–1600, दिनांक 28 नवम्बर, 2019 के क्रम संख्या–1 से 31 तक के अनुभाग अधिकारी प्रशिक्षण में प्रतिभाग करेंगे।
	11:15 Am to 12:00 Noon	ऑन लाईन विभागीय बजट अपलोड करना, जेण्डर बजट व खण्ड–6 (पदों के सम्बन्ध में)	निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं। डाटा सेंटर के अधिकारी, श्री आतिफ जंग, स्टेट टेक्निकल कोर्डिनेटर, जेण्डर बजटिंग	
	12:00 Noon to 01:30 Pm	वित्त (व्यय नियंत्रण) विभाग	सलाहकार, बजट	

	01:30 Noon to 02:00 PM	प्रश्न–उत्तर		सम्बन्धित अधिकारी

21 /11/2024	10:30 Am to 11:00 Am	संबोधन		सचिव, वित्त द्वारा संबोधन
21 /11/2024	11:00 Am to 11:15 Am	ई–ऑफिस पर शासनादेश अपलोड करना	सचिवालय प्रशासन विभाग के अधिकारी व ई–ऑफिस के अधिकारी	उक्त परिशिष्ट के क्रम संख्या संख्या–32 से 53 तक के अनुभाग अधिकारी प्रशिक्षण में प्रतिभाग करेंगे।
	11:15 Am to 12:00 Noon	ऑन लाईन विभागीय बजट अपलोड करना, जेण्डर बजट व खण्ड–6 (पदों के सम्बन्ध में)	निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं। डाटा सेंटर के अधिकारी, श्री आतिफ जंग, स्टेट टेक्निकल कोर्डिनेटर, जेण्डर बजटिंग	
	12:00 Noon to 01:30 Pm	वित्त (व्यय नियंत्रण) विभाग	सलाहकार, बजट	
	01:30 Noon to 02:00 PM	प्रश्न–उत्तर		सम्बन्धित अधिकारी

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि समस्त अनुभाग अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

Signed by
Dilip Jawalkar
Date: 11-11-2024 17:21:14
(दिलीप जावलकर)
सचिव, वित्त / निदेशक, बजट

संख्या 639 /बजट/ ई–46661 / 2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. - निजी सचिव– मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. - निजी सचिव– मा0 वित्त मंत्री जी, उत्तराखण्ड को मा0 वित्त मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. - निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को महोदया के संज्ञानार्थ।
4. - निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त को महोदय के संज्ञानार्थ।
5. - समस्त सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
6. - समस्त अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
7. - कार्यालयाध्यक्ष, एन0आई0सी0, राज्य एकक, सचिवालय को उक्त सारणीनुसार प्रशिक्षित करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने के अनुरोध के साथ प्रेषित।
8. - निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड को उक्त सारणी के अनुसार प्रशिक्षित

करने हेतु।

9. - निदेशक, आई0टी0डी0ए0, आई0टी0 पार्क, देहरादून।
10. - सलाहकार, बजट, सचिवालय, देहरादून।
11. - अनु सचिव, कार्मिक को इस आशय से प्रेषित कि सचिवालय में ई--ऑफिस हेल्प डेस्क टीम को उक्त तालिकानुसार प्रशिक्षित के लिए निर्देशित करने हेतु।
12. - समस्त वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को उक्तानुसार प्रतिभाग हेतु।
13. - व्यवस्थाधिकारी, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार/ सचिवालय प्रशासन विभाग।
14. - प्रबन्धक, कैंटीन, गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0, सचिवालय, देहरादून।

(दिलीप जावलकर)
सचिव, वित्त/ निदेशक, बजट।

Khud fm

परिशिष्ट–1

संख्या: 1600 /XXXI(1)/2019–विविध–15/2019, दिनांक 28 नवम्बर, 2019 ।

उत्तराखण्ड सचिवालय के अन्तर्गत सृजित विभागों/अनुभागों का आवंटित कोड संख्या

क्र0 सं0	विभाग का नाम	विभागीय कोड	क्र0 सं0	अनुभाग का नाम	अनुभागीय कोड
1	2	3	4	5	6
1	ऊर्जा विभाग	I	1	ऊर्जा अनुभाग–1	I-1
			2	ऊर्जा अनुभाग–2	I-2
2	सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग	II	1	सिंचाई अनुभाग–1	II-1
			2	सिंचाई अनुभाग–2	II-2
			3	लघु सिंचाई अनुभाग	II-3
3	लोक निर्माण विभाग	III	1	लोक निर्माण अनुभाग–1	III-1
			2	लोक निर्माण अनुभाग –2	III-2
			3	लोक निर्माण अनुभाग –3	III-3
4	शहरी विकास विभाग	IV	1	शहरी विकास अनुभाग –1	IV-1
			2	शहरी विकास अनुभाग –2	IV-2
			3	शहरी विकास अनुभाग–3	IV-3
5	आवास विभाग	V	1	आवास अनुभाग–1	V-1
			2	आवास अनुभाग–2	V-2
6	पर्यटन, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग	VI	1	पर्यटन अनुभाग	VI-1
			2	संस्कृति एवं धर्मस्व अनुभाग	VI-2
			3	खेलकूद अनुभाग	VI-3
			4	युवा कल्याण अनुभाग	VI-4
7	औद्यौगिक विकास विभाग	VII-A	1	औद्यौगिक विकास (खनन) अनुभाग–1	VII-A-1
			2	औद्यौगिक विकास अनुभाग–2	VII-A-2
8	लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम विभाग	VII-B	1	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग	VII-B-1
9	श्रम विभाग	VIII	1	श्रम अनुभाग	VIII-1
10	परिवहन एवं नागरिक उड्डयन विभाग	IX	1	परिवहन अनुभाग–1	IX-1
			2	परिवहन एवं अनुभाग–2	IX-2
			3	नागरिक उड्डयन अनुभाग	IX-3
11	वन विभाग	X	1	वन अनुभाग–1	X-1
			2	वन अनुभाग–2	X-2
			3	वन अनुभाग–3	X-3
12	ग्राम्य विकास विभाग	XI	1	ग्राम्य विकास अनुभाग–1	XI-1
			2	ग्राम्य विकास अनुभाग–2	XI-2
			3	ग्राम्य विकास अनुभाग–3	XI-3
13	पंचायती राज एवं ग्रामीण निर्माण विभाग	XII	1	पंचायती राज अनुभाग–1	XII-1
			2	पंचायती राज अनुभाग–2	XII-2
			3	ग्रामीण निर्माण अनुभाग	XII-3
14	कृषि, कृषि विपणन एवं जलागम विभाग	XIII	1	कृषि एवं विपणन अनुभाग–1	XIII-1
			2	कृषि एवं विपणन अनुभाग–2	XIII-2
			3	जलागम अनुभाग	XIII-3
15	सहकारिता एवं गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग	XIV	1	सहकारिता अनुभाग	XIV-1
			2	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग अनुभाग	XIV-2

16	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य विभाग	XV	1	पशुपालन अनुभाग	XV-1
			2	दुग्ध विकास अनुभाग	XV-2
			3	मत्स्य अनुभाग	XV-3
17	उद्यान एवं रेशम विभाग	XVI	1	उद्यान एवं रेशम अनुभाग–1	XVI-1
			2	उद्यान एवं रेशम अनुभाग–2	XVI-2
18	समाज कल्याण विभाग	XVII-A	1	समाज कल्याण अनुभाग–1	XVII-A-1
			2	समाज कल्याण अनुभाग–2	XVII- A-2
			3	समाज कल्याण अनुभाग–3	XVII- A-3
19	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	XVII-B	1	अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग	XVII- B-1
20	सैनिक कल्याण विभाग	XVII-C	1	सैनिक कल्याण अनुभाग	XVII- C-1
21	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग	XVII-D	1	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–01	XVII- D-1
			2	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–02	XVII-D-2
22	राजस्व विभाग	XVIII-A	1	राजस्व अनुभाग–1	XVIII-A-1
			2	राजस्व अनुभाग–2	XVIII-A-2
			3	राजस्व अनुभाग–3	XVIII-A-3
23	आपदा प्रबंधन एवं पुर्नवास विभाग	XVIII-B	1	आपदा प्रबंधन एवं पुर्नवास अनुभाग–1	XVIII-B-1
			2	आपदा प्रबंधन एवं पुर्नवास अनुभाग–2	XVIII-B-2
24	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग	XIX	1	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–1	XIX-1
			2	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2	XIX-2
25	गृह विभाग	XX	1	गृह अनुभाग–1	XX-1
			2	गृह अनुभाग–2	XX-2
			3	गृह अनुभाग–3	XX-3
			4	गृह अनुभाग–4	XX-4
			5	गृह अनुभाग–5	XX-5
			6	गृह अनुभाग–6	XX-6
			7	गृह अनुभाग–7	XX-7
			8	गृह अनुभाग–8	XX-8
26	गोपन (मंत्रिपरिषद्) विभाग	XXI	1	गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग–1	XXI-1
27	सूचना विभाग	XXII	1	सूचना अनुभाग–1	XXII-1
			2	सूचना अनुभाग–2	XXII-2
28	आबकारी विभाग	XXIII	1	आबकारी अनुभाग	XXIII-1
29	विद्यालयी शिक्षा विभाग (बेसिक)	XXIV-A	1	बेसिक शिक्षा अनुभाग–1	XXIV-A-1
			2	बेसिक शिक्षा अनुभाग–2	XXIV- A-2
30	विद्यालयी शिक्षा विभाग (माध्यमिक)	XXIV-B	1	माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1	XXIV-B-1
			2	माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2	XXIV-B-2
			3	माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3	XXIV-B-3
			4	माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4	XXIV-B-4
			5	माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5	XXIV-B-5
31	उच्च शिक्षा विभाग	XXIV-C	1	उच्च शिक्षा अनुभाग–1	XXIV-C-1
			2	उच्च शिक्षा अनुभाग–2	XXIV-C-2
			3	उच्च शिक्षा अनुभाग–3	XXIV-C-3
			4	उच्च शिक्षा अनुभाग–4	XXIV-C-4

32	निर्वाचन विभाग	XXV	1	अनुभाग समाप्त कर दिया गया है।	
33	नियोजन विभाग	XXVI	1	नियोजन अनुभाग-1	XXVI-1
			2	नियोजन अनुभाग-2	XXVI-2
34	कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	XXVI-A	1	कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	XXVI-A-1
35	वित्त विभाग	XXVII	1	वित्त अनुभाग-1	XXVII-1
			2	वित्त अनुभाग-2	XXVII-2
			3	वित्त अनुभाग-3	XXVII-3
			4	वित्त अनुभाग-4	XXVII-4
			5	वित्त अनुभाग-5	XXVII-5
			6	वित्त अनुभाग-6	XXVII-6
			7	वित्त अनुभाग-7	XXVII-7
			8	वित्त अनुभाग-8	XXVII-8
			9	वित्त अनुभाग-9	XXVII-9
			10	वित्त अनुभाग-10	XXVII-10
36	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	XXVIII	1	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1	XXVIII-1
			2	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2	XXVIII-2
			3	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3	XXVIII-3
			4	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4	XXVIII-4
			5	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-5	XXVIII-5
			6	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-6	XXVIII-6
37	पेयजल विभाग	XXIX	1	पेयजल अनुभाग-1	XXIX-1
			2	पेयजल अनुभाग-2	XXIX-2
38	कार्मिक एवं सतर्कता विभाग	XXX	1	कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-1	XXX-1
			2	कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2	XXX-2
			3	कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-3	XXX-3
			4	कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-4	XXX-4
			5	कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-5	XXX-5
			6	कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-6	XXX-6
39	सचिवालय प्रशासन विभाग	XXXI	1	सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-1	XXXI-1
			2	सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-2	XXXI-2
			3	सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-3	XXXI-3
			4	सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-4	XXXI-4
			5	सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग-1	XXXI-5
			6	सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग-2	XXXI-6
			7	सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग-3	XXXI-7
			8	सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग-4	XXXI-8
			9	पुस्तकालय/प्रलेखीकरण अनुभाग	XXXI-9
			10	प्रवेश पत्र अनुभाग	XXXI-10
			11	केन्द्रीय अनुभाग	XXXI-11
			12	लेखा अनुभाग-1	XXXI-12
			13	लेखा अनुभाग-2	XXXI-13
			14	लेखा अनुभाग-3	XXXI-14

श्रा: 1600 /XXXI(1)/2019–विविध–15/2019, दिनांक 28 नवम्बर, 2019 ।

39	सचिवालय प्रशासन विभाग	XXXI	15	लेखा अनुभाग–4	XXXI-15
			16	लेखा अनुभाग–5	XXXI-16
			17	लेखा अनुभाग–6	XXXI-17
			18	लेखा अनुभाग–7	XXXI-18
			19	लेखा अनुभाग–8	XXXI-19
			20	लेखा अनुभाग–9	XXXI-20
			21	लेखा अनुभाग–10	XXXI-21
			22	लेखा अनुभाग–11	XXXI-22
40	सामान्य प्रशासन विभाग	XXXI-A	1	सामान्य प्रशासन अनुभाग	XXXI-A-1
41	राज्य सम्पत्ति विभाग	XXXII	1	राज्य सम्पत्ति अनुभाग–1	XXXII-1
			2	राज्य सम्पत्ति अनुभाग–2	XXXII-2
			3	राज्य सम्पत्ति अनुभाग–3	XXXII-3
42	प्रोटोकाल विभाग	XXXIII	1	प्रोटोकाल अनुभाग	XXXIII-1
43	सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग	XXXIV	1	सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग–1	XXXIV-1
			2	सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग–2	XXXIV-2
44	मुख्यमंत्री कार्यालय	XXXV	1	मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–1	XXXV-1
			2	मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–2	XXXV-2
			3	मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–3	XXXV-3
			4	मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–4	XXXV-4
			5	मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–5	XXXV-5
45	न्याय विभाग	XXXVI-A	1	न्याय अनुभाग–1	XXXVI-A-1
			2	न्याय अनुभाग–2	XXXVI-A-2
			3	न्याय अनुभाग–3	XXXVI-A-3
46	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग	XXXVI-B	1	विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग	XXXVI-B-1
47	पुनर्गठन विभाग	XXXVII	1	पुनर्गठन अनुभाग	XXXVII-1
48	पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	XXXVIII	1	पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग	XXXVIII-1
49	भाषा विभाग	XXXIX	1	भाषा अनुभाग	XXXIX-1
50	आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग	XL	1	आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग	XL-1
51	तकनीकी शिक्षा विभाग	XLI-A	1	तकनिकी शिक्षा अनुभाग	XLI-A-1
52	कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग	XLI-B	1	कौशल विकास एवं सेवायोजन अनुभाग	XLI-B-1
53	संस्कृत शिक्षा विभाग	XLII	1	संस्कृत शिक्षा अनुभाग	XLII-1
			1	नियमावली प्रकोष्ठ (कार्मिक विभाग)	XXX-A-1
			1	सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन संस्थान (सचिवालय प्रशा0 विभाग)	XXXI-B-1
			1	स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली	-

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

जारी
08/01/2019

उत्तराखण्ड शासन
सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–01
संख्याः2000/XXXI(1)/2019–विविध–22/17
देहरादूनः दिनांक08 जनवरी, 2019

अधिसूचना

उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के नियम–2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तात्कालिक प्रभाव से कार्मिक विभाग, सतर्कता विभाग एवं सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन विभाग को एकीकृत करते हुए "कार्मिक एवं सतर्कता विभाग" के नाम से नया विभाग गठित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। नवगठित "कार्मिक एवं सतर्कता विभाग" में कुल 06 अनुभाग होंगे, जिसमें कार्मिक विभाग के 04 अनुभाग तथा सतर्कता एवं सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन विभाग के 02 अनुभाग सम्मिलित होंगे।

2– पूर्व में संचालित कार्मिक अनुभाग–01, 02, 03 एवं 04 तथा सतर्कता एवं सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन अनुभाग–01 एवं 02 को नवगठित "कार्मिक एवं सतर्कता विभाग" के अन्तर्गत क्रमशः "कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–01, 02, 03, 04, 05 एवं 06" के नाम से जाना जाएगा।

3– सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग को सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–01 के आदेश संख्याः 591/XXXI(1)/2012, दिनांक 08 अगस्त, 2012 द्वारा आवंटित विभागीय कोड/अनुभागीय कोड को निरस्त करते हुए उक्तानुसार नवसृजित "कार्मिक एवं सतर्कता विभाग" को विभागीय कोड "XXX" तथा अनुभागीय कोड क्रमशः XXX-1, XXX-2, XXX-3, XXX-4, XXX-5 एवं XXX-6 आवंटित किये जाते हैं।

4– नवसृजित "कार्मिक एवं सतर्कता विभाग" के अन्तर्गत सृजित अनुभागों का कार्य आवंटन पूर्व की भांति यथावत् रहेगा।

5– उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के अधीन सचिवालय प्रशासन विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 1093/XXXI(1)/2006, दिनांक 28 अगस्त, 2006 में इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

संख्याः 2000/XXXI(1)/2019–विविध–22/17, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3– प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4– समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, उत्तराखण्ड सरकार।
5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8– निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को प्रकाशनार्थ।
9– समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
10– विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(इन्दुधर बौड़ाई)
प्रभारी सचिव

उत्तराखण्ड शासन
सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–01
संख्या: 1191 /XXXI(1)/2019/विविध–10/2019
देहरादून: दिनांक: 11 नवम्बर, 2019

:: अधिसूचना ::

उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के नियम–2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तात्कालिक प्रभाव से 'पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग' के नाम से नया विभाग गठित किये जाने तथा वन एवं पर्यावरण विभाग का नाम परिवर्तित कर "वन विभाग" किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त के फलस्वरूप "वन विभाग" के अन्तर्गत अब 03 अनुभाग होंगे, जिनके अनुभागीय कोड क्रमशः X-1, X-2 एवं X-3 होंगे। वन एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत पूर्व से क्रियाशील "वन एवं पर्यावरण अनुभाग–03" अब "पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग" के नाम से जाना जायेगा। नवसृजित "पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग" को विभागीय कोड "XXXVIII" तथा अनुभागीय कोड "XXXVIII-1" आवंटित किया जाता है।

3– नवसृजित "पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग" को संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुसार कार्य आवंटित करते हुए पूर्व में वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3 को आवंटित अन्य विविध कार्यों को संलग्न परिशिष्ट–02 के अनुसार वन विभाग के अन्तर्गत सृजित अनुभागों को अतिरिक्त रूप से आवंटित किये जाते हैं।

4– उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के अधीन सचिवालय प्रशासन विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1093/XXXI(1)/2006, दिनांक 28 अगस्त, 2006 में इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

संलग्नक– यथोपरि।

उत्पल कुमार सिंह
मुख्य सचिव

संख्या: 1191 /XXXI(1)/2019/विविध–10/2019, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3– प्रमुख सचिव/सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4– समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण–राज्य मंत्रीगण, उत्तराखण्ड सरकार।
5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8– निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को प्रकाशनार्थ।
9– समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
10– विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन
सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–01
संख्याः 1021 /XXXI(1)/2020–विविध–11/2020
देहरादूनः दिनांक 24 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के नियम–2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तात्कालिक प्रभाव से कृषि एवं कृषि विपणन विभाग एवं उद्यान एवं रेशम विभाग को एकीकृत करते हुए शासन स्तर पर "कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग" गठित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– एकीकृत "कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग" में कुल 04 अनुभाग होंगे, जिसमें कृषि एवं कृषि विपणन विभाग के 02 अनुभाग तथा उद्यान एवं रेशम विभाग के 02 अनुभाग सम्मिलित होंगे।

3– पूर्व में क्रियाशील कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–01, एवं 02, तथा उद्यान एवं रेशम अनुभाग–01 एवं 02 एकीकृत "कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग" के अन्तर्गत क्रमशः "कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–01, 02, 03, एवं 04," के नाम से जाने जायेंगे।

4– सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–01 के आदेश संख्याः 1093/XXXI(1)/2006, दिनांक 28 अगस्त, 2006 एवं अधिसूचना संख्याः 1600/XXXI(1)/2019, दिनांक 28 नवम्बर, 2019 द्वारा उद्यान एवं रेशम विभाग को आवंटित विभागीय कोड/अनुभागीय कोड को निरस्त करते हुए एकीकृत "कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग" को विभागीय कोड "XIII" तथा अनुभागीय कोड क्रमशः XIII-1, XIII-2, XIII-3, एवं XIII-4, तथा जलागम अनुभाग को अनुभागीय कोड XIII-A-1 आवंटित किये जाते हैं।

5– एकीकृत "कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग" के अनुभागों को संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुसार कार्य आवंटित आवंटित किये जाते हैं। जलागम अनुभाग को आंवटित कार्य पूर्व की भाति यथावत् रहेगे।

6– सचिवालय प्रशासन विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 1093/XXXI(1)/2006, दिनांक 28 अगस्त, 2006 एवं अधिसूचना संख्याः 1600/XXXI(1)/2019, दिनांक 28 नवम्बर, 2019 में इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव

संख्याः 1021 /XXXI(1)/2020–विविध–11/2020, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3– प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4– समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, उत्तराखण्ड सरकार।
5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8– निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को प्रकाशनार्थ।
9– समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
10– विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव